

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 1999847 / सी-6 / सा0-207 / ईट भट्टा नोडल / वाल0-07 / 2023

Dated 24-8-23

ई-मेल द्वारा / महत्वपूर्ण

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

विषय: पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 143(अ) दिनांक 22.02.2022 के अन्तर्गत ईट भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 143(अ) दिनांक 22.02.2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत गैर प्राप्ति शहरों (Non Attainment Cities) के 10 कि०मी० के दायरे में स्थित ईट भट्टों के मामलों में एक वर्ष एवं अन्य क्षेत्र के लिये दो वर्ष ही अवधि के भीतर जिग-जैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किया जाना या पीएनजी का उपयोग ईट उत्पादन में ईंधन के रूप में किया जाना प्राविधानित है। इसके अतिरिक्त ऐसे मामले जहाँ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रूपान्तरण के लिये अलग से समय-सीमा निर्धारित की गयी है, वहाँ ऐसे आदेश प्रभावी होना प्राविधानित है।

अवगत कराना है कि जिग-जैग तकनीक सी०बी०आर०आई०, रूडकी एवं पंजाब स्टेट साइन्स काउन्सिल द्वारा विकसित की गई हैं तथा सी०बी०आर०आई०, रूडकी द्वारा पत्र दिनांक 08.08.2017 के माध्यम से मेसर्स टीम एर्जी सिस्टम, एससीओ-87, द्वितीय तल, सेक्टर-4, पंचकूला, हरियाणा-134113 को जिग-जैग तकनीक हेतु परामर्शी अधिकृत किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित ईट भट्टों को जिग-जैग तकनीक में परिवर्तित किये जाने हेतु मेसर्स टीम एर्जी सिस्टम, एससीओ-87, द्वितीय तल, सेक्टर-4, पंचकूला, हरियाणा-134113 से आवश्यक तकनीकी सहयोग प्राप्त करने हेतु ईट भट्टों को अपने स्तर से निर्देश निर्गत करें एवं सहमति निर्गमन से पूर्व जिग-जैग हेतु वांछित प्रस्ताव आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें, जिससे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ईट भट्टों को जिग-जैग तकनीक में परिवर्तित कराया जा सके।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

भवदीय,


(आर०के० सिंह)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-8) / नोडल ईट भट्टा

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उत्तर प्रदेश ईट निर्माता समिति (रजि०), ईटा भवन, 87/15, रिसालदार पार्क, लालकुआँ, लखनऊ-226018।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-8) / नोडल ईट भट्टा

T.C/12V, Vibhuti Khand Gombi Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com